

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

- कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-87/2025

पंजीकरण तिथि:-21.06.2025

निर्णय की तिथि:- 09.09.2025

शारदा शर्मा पत्नी विजेन्द्र कुमार,
जूटिया तल्ला रामगढ़
जिला-नैनीताल

प बािदी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
नैनीताल।

विपक्षी

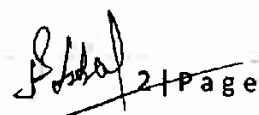
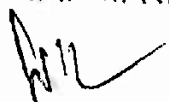
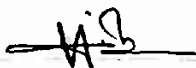
निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- It is to bring your kind notice that we have a property in jutiya , Talla Ramgarh. And at present no body is residing in that property but still we received bill amounting Rs. 20000/- (approx.) bill also attached. It is requested you to kindly check the matter and do the needfull and send the revise electricity bill for the same.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:- उक्त प्रकरण में मा० मंच को अवगत कराना है कि दि० 26.06.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर स्पष्ट जांच हेतु चैक मापक स्थापित कर दिया गया है। चैक मापक की रीडिंग प्राप्त होने के पश्चात ही सम्पूर्ण व स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 08.08.2025 को कहा गया है श्रीमती शारदा शर्मा रामगढ़ में चौक मापक की रिपोर्ट एवं आख्या प्रेषित करने हेतु मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है।
- उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता मापक की आख्या के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर दि० 26.06. 2025 को चेक मापक (संख्या-U240352) स्थापित करने के उपरान्त दि० 18.07.2025 को फाइनल किया गया है।
 - चेक मापक को फाइनल करने के उपरान्त उपभोक्ता के मेन मापक की रीडिंग चेक मापक की रीडिंग से कम पायी गयी है। जिससे यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का पुराने मापक की रीडिंग उल्टी चल रही है।
 - पुराने मापक की रीडिंग उल्टी चलने के कारण मापक के तेज अथवा धीमे चलने के सम्बन्ध में जांच कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
 - उपभोक्ता के परिसर पर दि० 18.07.2025 को खराब मापक प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 28.08.2025 को कहा गया है कि उपखण्ड कार्यालय से बिल संशोधन की प्रक्रिया करने के उपरान्त खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया था, परंतु ऑनलाईन पोर्टल में सी0सी0बी0आर0 की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है ऑनलाईन पोर्टल सही होते ही आख्या सहित लेजर की प्रति प्रेषित की जा सकेगी।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 30.08.2025 को अपनी आख्या में कहा गया कि श्रीमती शारदा शर्मा रामगढ़ में (संयोजन संख्या 591RT23265910) के विद्युत बिल में दि० 28. 08.2025 को रु० 15648.00 का CCBR Adjustment कर दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल 9498.00 रु० मात्र का बनाया गया है।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर बदल दिया गया है तथा बिल भी संशोधित कर दिया गया है। अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

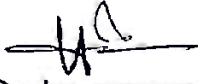
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत

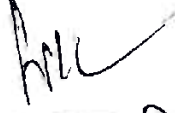
 21 Page

औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

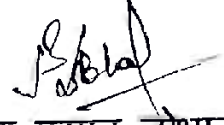
दिनांक:- 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



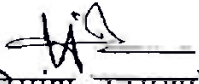
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

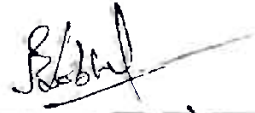
दिनांक:- 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

पश्चाद संख्या-92/2025

पंजीकरण तिथि-25.06.2025

निर्णय तिथि-08.09.2025

पूरन सिंह
ग्राम व पोस्ट-तल्ला बर्धो
बेतालघाट
जिला-नैनीताल।

परिवादी

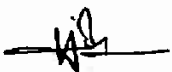
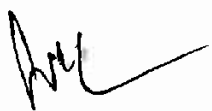
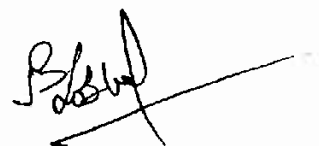
बनाम

अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

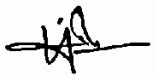
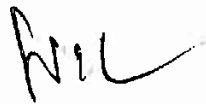
निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि आनंद सिंह पुत्र नरसिंह ग्राम व पोस्ट-बर्धो, विकासखण्ड-बेतालघाट नैनीताल ने बिजली का कॉमर्शियल कनेक्शन लगवाया था कनेक्शन संख्या-590/GB60/001100 है। जिसका मीटर खराब होने के कारण आपके कार्यालय में पूर्व में भी मौखिक रूप से शिकायत की गई थी। जबकि बिल का भुगतान प्रत्येक बिल आने के बाद बिल धनराशि आपके कार्यालय में नकद जमा की गई है। उसके पश्चात बिल ₹ 126000.00 आ गया है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि खराब मीटर को बदलवाने की एवं नया मीटर लगवाने की कृपा करें एवं पूर्व में आया बिल धनराशि ₹ 126000.00 माफ करने की कृपा करें। महोदय से अनुरोध के साथ निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नया मीटर लगवाने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी अतिरिक्त भुगतान से भी सुविधा हो सके।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता का खराब मापक बदलने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सहायक अभियन्ता (मापक), भवाली को पत्र प्रेषित किया गया है (पत्रावली में कागज संख्या-2/1)।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 14.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता का खराब मापक बदलने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अवर

अभियन्ता (मापक), भवाली द्वारा दिनांक 09.07.2025 को बदल दिया गया है। बिल संशोधन की कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसमें समय लगना सम्भव है (पत्रावली में कागज संख्या-4/1)।

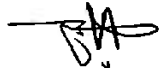
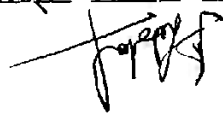
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 02.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 09.07.2025 को मापक बदल दिया गया था। उपभोक्ता के विद्युत मापक को एक माह पूर्ण होने के (दिनांक 09.08.2025) पश्चात ही बिल की गणना हेतु उतारा जायेगा। अतः उक्त वाद में आवश्यक कार्यवाही हेतु समय लगना सम्भव है।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 13.08.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता के नए विद्युत मापक G7910841 से प्राप्त रीडिंग 105 के0डब्लू0एच0 व 155 के0वी0एच0 के आधार पर विद्युत बिल को संशोधन कर दिया गया है इसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 319851.00 का बना है। सहायक अभियन्ता (मापक), भवाली के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के पुराने मापक की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है।
6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 19.08.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु परिवादी अनुपस्थित व विपक्षी प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी) मंच में उपस्थित हुये। विपक्षी को सुना गया। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी का दिनांक 15.10.2024 के बाद के बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत आधार पर मीटर बदले जाने की तिथि तक संशोधित करते हुए आख्या दिनांक 28.08.2025 तक प्रस्तुत करे।
7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त पत्र दिनांक 28.08.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड कार्यालय से बिल संशोधन की प्रक्रिया करने के उपरान्त खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया था परन्तु ऑनलाइन पोर्टल में सी0सी0बी0आर0 की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है ऑनलाइन पोर्टल के सही होते ही आख्या सहित लेजर की प्रति प्रेषित की जा सकेगी।
8. उक्त के क्रम में विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्र दिनांक 30.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री पूरन सिंह बेतालघाट (संयोजन संख्या-590GB60001100) के विद्युत बिल में दिनांक 28.08.2025 को ₹ 302127.00 का CCBR adjustment कर दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 17724.00 मात्र का बनाया गया है। साक्ष्य स्वरूप परिवादी के लेजर की प्रति मंच में प्रस्तुत की गई।
9. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा, परिवादी का खराब मापक पूर्व में ही बदला जा चुका है जबकि मंच के आदेश पर परिवादी का विद्युत बीजक भी संशोधित कर दिया गया हैं अतः परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।


आदेश

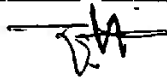
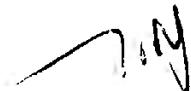
विपक्षी द्वारा परिषदी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिषदी द्वारा सर्वोच्च अदालत किसे जाने के फलस्वरूप बाद निरस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:- 08/09/2025

(हिमांशु बड़गाणा) सदस्य (उपभाषा)	(विलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद जोषाल) सदस्य (न्यायिक)
		

आज यह निर्णय खुले कोरम में दिनचिंत, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 08/09/2025

(हिमांशु बड़गाणा) सदस्य (उपभाषा)	(विलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद जोषाल) सदस्य (न्यायिक)
		

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-95 / 2025

पंजीकरण तिथि-25.06.2025

निर्णय तिथि-06.09.2025

पूनम सूयाल
पत्नी श्री दीप सूयाल
सूयालबाड़ी
जिला-नैनीताल।

परिवादी

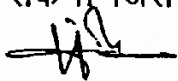
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि हमारे घर के समीप के गांव में और हमारे घर में लो वोल्टेज की समस्या रहती है जिसका मुख्य कारण लकड़ी के पोल व GI तार है। महोदय में सूयालबाड़ी में रहती हूं तथा मेरे आस-पास के गांवों में यह समस्या बनी रहती है। ढोकने, निगरांड, सूयालगांव व अन्य गांव है अतः महोदय से निवेदन है कि इस समस्या का निराकरण करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 02.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्रीमती पूनम सूयाल पत्नी श्री दीप सूयाल, सूयालबाड़ी द्वारा लकड़ी के पोल व जी०आई० तार बदलने के संबंध में है कि सापेक्ष अवर अभियन्ता गरमपानी द्वारा निरीक्षण का प्रकरण तैयार कर दिया गया है (पत्रावली में कागज संख्या 2/1 से 2/2)।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 21.07.2025 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में संबंधित कार्य प्रणाली मद में कराए जाने हेतु उच्चाधिकारी कार्यालयों से खण्ड कार्यालय पत्रांक-1633 दिनांक 08.07.2025 के माध्यम से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति चाही है (पत्रावली में कागज संख्या-4/1)। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारी कार्यालयों से किसी भी प्रकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें समय लगा सम्भव है।





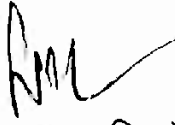
4. मंच द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 02.08.2025 को विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवारी के परिसर पर उचित वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जाए दी जाए वोल्टेज निर्धारित स्तर से कम होने पर परिवारी को क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। अतः समस्या का शीघ्र निस्तारण कर दिनांक 01.09.2025 तक कार्य प्रगति आख्या मंच में प्रस्तुत करें।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 01.09.2025 को प्रस्तुत कार्यप्रगति आख्या में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में संबंधित कार्य प्रणाली मद में कराये जाने हेतु उच्चाधिकारी कार्यालयों वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उक्त प्रकरण में जी0आई0 वायर बदलने से संबंधित कार्यवाही की जा रही है। पिछले कई दिनों से भारी वर्षा के कारण कार्य में व्यवधान हो रहा है। मौसम के सामान्य होने पर कार्य को तेजी से किए जाने के प्रयास संभव है। उपभोक्ता के परिसर पर उचित वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवारी की वोल्टेज संबंधी शिकायत पर विपक्षी/विभाग द्वारा जी0आई0 वायर बदलने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्षा के कारण कार्य में थोड़ा विलम्ब हो रहा है परन्तु कार्य गतिमान है। विपक्षी का कहना है कि वर्तमान में परिवारी के परिसर पर उचित वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति हो रही है। अतः जी0आई0 वायर बदलने का कार्य पूर्ण होने पर पूरे क्षेत्र की वोल्टेज समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि कार्य गतिमान है अतः वाद को निस्तारित कर दिया जाये।

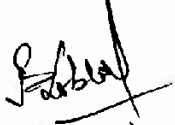
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवारी के परिसर पर उचित वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति किये जाने एवं क्षेत्र की वोल्टेज समस्या दूर करने के लिए कार्य गतिमान होने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-06/09/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांक:-06/09/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)

परिवाद संख्या-107 / 2025

पंजीकरण तिथि-11.07.2025

निर्णय तिथि-25.09.2025

विनोद कुमार पन्त
 पुत्र मुरलीधर
 5/585 मुरली परिसर
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 तिकोनिया, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि मैं विनोद कुमार पंत, पिता श्री मुरलीधर, आपके डिवीजन का एक पंजीकृत बिजली उपभोक्ता हूँ। मेरे नाम पर दो बिजली कनेक्शन हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. घर का पता: 5-585, मुरली परिसर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उपभोक्ता संख्या: 40110615398

2. दुकान का पता: 14, गुरुनानक मार्केट, हल्द्वानी उपभोक्ता संख्या: 40114154506

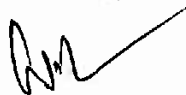
हाल ही में UPCL द्वारा स्मार्ट मीटर परिवर्तन किया गया, जिसमें मेरे घर के मीटर में गलती से दुकान का उपभोक्ता नंबर (40114154506) जोड़ दिया गया। इस कारण से घर का उपभोक्ता खाता (40110615398) अब सिस्टम में नहीं दिख रहा है। इस गलती के चलते, घर का बिल दुकान के उपभोक्ता नंबर पर जारी हो गया, और मैंने अनजाने में उस बिल का भुगतान कर दिया। अब वह भुगतान दुकान के खाते में दिख रहा है, जबकि वह बिल वास्तव में घर के लिए था। आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित सुधार करें:

- घर का उपभोक्ता खाता (40110615398) पुनः सिस्टम में सक्रिय किया जाए।
- जो भुगतान गलती से दुकान (40114154506) के खाते में गया है, उसे घर के खाते (40110615398) में स्थानांतरित किया जाए।

आपसे निवेदन है कि इस त्रुटि को शीघ्र सुधार कर मुझे सूचित करने की कृपा करें।




2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 15.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता की वर्तमान History के अनुसार RTS-1 Domestic Con. व उपभोक्ता सं०-40110615398 एवं RTS_2, Commercial Con. व उपभोक्ता सं०-40114154506 है, जो कि उनके द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार सही है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 19.07.2025 में कहा गया है कि "With due respect, I am submitting my written response regarding the above-mentioned letter (No. 417 dated 18.07.2025), related to my complaint (Case No. 107/2025). I would like to clarify that the core issue mentioned in my complaint still remains unresolved. The department's response, as received, appears to have misunderstood the actual grievance. My concern is not about the accuracy of the consumer number in records but about the **incorrect linking of the smart meter installed at my residence with a different (shop's) consumer number**, and the mismatch of address and billing details on the UPCL smart portal. Hence, I am re-submitting a detailed application (attached) explaining the issue point-by-point. I request the Forum to kindly consider the actual facts of the case and take appropriate corrective action. Thank you for providing me the opportunity to respond."
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2025 की तिथि नियत की गई परन्तु विभाग/विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के तहत विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक निर्वाचन चुनाव में की गयी है जिस कारण वादों में उत्तर पत्र प्रस्तुत करना व सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं है।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 01.08.2025 की तिथि नियत की गयी। उभयपक्ष सुनवाई हेतु प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि कनेक्शन संख्या/मीटर में त्रुटि के लिए संबंधित कंपनी/फर्म को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। तथा मंच द्वारा अधिशासी अभियंता, को आदेशित किया गया कि इस प्रकरण में तत्वरित कार्यवाही के लिए संबंधित फर्म को निर्देशित करें जिससे उपभोक्ता को सही श्रेणी का बिल भेजा जा सके।
6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.08.2025 में कहा गया है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक-3217 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से मै० अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि०, को उपभोक्ता के शिकायत के निवारण हेतु पत्र प्रेषित किया गया (पत्रावली में कागज संख्या-9/1), जिनके द्वारा उक्त शिकायत का निवारण किया जाना वांछित है।
7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 18.08.2025 को मंच के समक्ष पत्र प्रस्तुत करते हुये यह अवगत कराया कि कार्यालय द्वारा पत्रांक-3217 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से मै० अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि०, को उपभोक्ता के शिकायत के निवारण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु उनके द्वारा उक्त शिकायत का निवारण के संबंध में अभी तक कोई आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है।
8. दिनांक 18.08.2025 को मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। चूंकि यह प्रकरण परिवादी के दो संयोजनों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाते समय सीलिंग में गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण घरेलू श्रेणी का बिल अधेरलू एवं अघरेलू का घरेलू श्रेणी में निर्मित होने से संबंधित है। समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई प्रयास में मै० अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि०, द्वारा नहीं किया गया है जबकि खण्ड कार्यालय से भी कंपनी को पत्र लिखा गया है।




मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के दोनों संयोजनों के बीजक उसकी उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार उचित टैरिफ दर पर मैन्युअल निर्मित करे व दिनांक 20.08.2025 को मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

9. मंच द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 20.08.2025 को विपक्षी/विभाग पत्र प्रस्तुत करते हुये समय विस्तार की मांग की। मंच द्वारा समय विस्तार के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.08.2025 की तिथि नियत की गयी।
10. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 27.08.2025 में कहा गया है कि इस कार्यालय द्वारा स्मार्ट मापक से संबंधित कंपनी मै0 अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि0, को उपभोक्ता की शिकायत के निवारण हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा संयोजन संख्या-386ए261081353 सही A/C No. की प्रविष्टि कर दी गई है एवं उपभोक्ता हिस्ट्री के अनुसार पूर्व में निर्मित माह 06/2025 एवं 07/2025 के बिल जो की घरेलू श्रेणी के निर्मित थे को हटाए गए हैं। उपभोक्ता के मापक की रीडिंग के अनुसार पुनः माह 06/2025 एवं 07/2025 एवं अग्रेत्तर बिल सही श्रेणी के स्वतः निर्मित होंगे।

उपभोक्ता के परिसर पर संयोजन संख्या-382A322005680/ A/c No.40110615398 पर स्मार्ट मीटर परिवर्तित कर दिया गया है, एवं वर्तमान में Consumer Account No. सही कर दिया गया है, परन्तु उपभोक्ता का MDMS में category गलत Non-domestic आने के कारण वर्तमान में बिल निर्मित नहीं हो पा रहे हैं, जिसे सही करने हेतु संबंधित कंपनी मै0 अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि0 को निर्देशित किया गया है।

11. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 10.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता का मै0 अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लि0 द्वारा उपभोक्ता श्रेणी सही कर लिया गया है एवं इस कार्यालय द्वारा उपभोक्ता के बिल निर्मित करने हेतु मुख्यालय आर0ए0डी0आर0पी0, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि अभी तक उनके स्तर से लम्बित है। अतः सादर अनुरोध है कि मुख्यालय आर0ए0डी0आर0पी0, देहरादून द्वारा बिल निर्माण/संशोधन के उपरान्त माननीय मंच को प्रेषित किया जायेगा।

उक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 16.09.2025 को पत्र प्रस्तुत करते हुये परिवादी के संयोजन संख्या-382A322005680 का स्मार्ट मापक आधारित संशोधित बिल भी मंच में पस्तुत किया (पत्रावली में कागज संख्या-19/1)।

12. परिवादी द्वारा दिनांकित 19.09.2025 को पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि मेरी पूर्व शिकायत पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के बाद अधिकांश समस्याएँ समाधान हो चुकी हैं, जिसके लिए धन्यवाद। तथापि, अभी भी निम्नलिखित 2 बिंदु शेष हैं जिनका समाधान अपेक्षित है—

1. मेरे घरेलू उपभोक्ता नम्बर (40110615398) पर ₹ 6441.00 का बकाया बिल दर्शाया जा रहा है, जबकि दुकान वाले उपभोक्ता नम्बर (40114154506) पर गलत लिंगिंग के कारण काफी राशि जमा होकर "minus bill" दिख रहा है। यदि संभव हो तो, कृपया दुकान वाले खाते में पड़ी अतिरिक्त राशि को मेरे घरेलू कनेक्शन के ₹ 6441.00 बकाया से समायोजित कर दिया जाए।
2. स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप पर अभी भी त्रुटियाँ दिखाई दे रही हैं— Consumer Address "Gurunanak Market" प्रदर्शित हो रहा है, जबकि सही पता "Murli Parisar, Haldwani" है। (पत्रावली में कागज संख्या-21/2) Sanctioned Load ऐप पर 1 kW दिख रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि बिलिंग में उपभोक्ता खातों का समुचित समायोजन अगर संभव हो तो किया जाए। स्मार्ट मीटर ऐप पर उपभोक्ता का पता और Load विवरण भी सही किया जाए जिससे आगे त्रुटि न हो।

13. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 25.09.2025 की तिथि नियत की गयी। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुये व परिवादी द्वारा दिनांक 23.09.2025 को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रस्तुत करते हुये सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 23.09.2025 में कहा गया है कि मैं विनोद कुमार पन्त, उपभोक्ता संख्या- 40110615398, निवासी 5/585 मुरली परिसर, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, अपने प्रकरण संख्या-107/2025 के संबंध में यह पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व निर्धारित तिथि 25.09.2025 को मैं व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत रूप से फोरम में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। इस बीच, मैंने UPCL की वेबसाइट पर अपने उपभोक्ता विवरण की पुनः जाँच की, जिसमें सभी जानकारीयाँ (Consumer Number, Address, Load) सही रूप से प्रदर्शित हो रही हैं। इसी आधार पर मैंने अपना बकाया बिल ₹ 6441.00 का भी विधिवत भुगतान कर दिया है। वर्तमान में केवल स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप पर पता और load गलत प्रदर्शित हो रहा है, किंतु इससे बिलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शिकायत का समाधान हो चुका मानते हुए कृपया प्रकरण संख्या-107/2025 को समाप्त (Close) कर दिया जाए। आपकी सहायता हेतु मैं आपका आभारी रहूँगा।

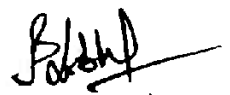
14. मंच द्वारा पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 23.10.2025 से स्पष्ट है कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निवारण किया जा चुका है। अतः वाद की कार्यवाही आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

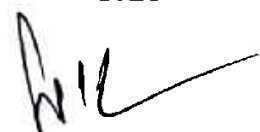
दिनांक:-25.09.2025

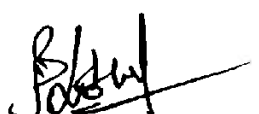

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.09.2025


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-109/2025

पंजीकरण तिथि:-18.07.2025

निर्णय की तिथि:- 09.09.2025

चन्द्रभान सिंह,

लोहसियासाल तल्ला,

देवाश्रय कालौनी हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,

हल्द्वानी (ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि 1, Chandrabhan Singh, S/o Shri P.P.S. Rawat, resident of Lohariasal Talla, Devashrya Colony, Haldwani-II, wish to submit the following for your kind consideration:

I have recently received a demand notice dated 17.06.2025 from the Electricity Department (EDD.Haldwani Rural) bearing Notice No. 71706250192, claiming outstanding dues of 17,463 to be paid by 17.07.2025.

In response, I have already submitted a detailed representation to the concerned Electricity Department dated 15.07.2025 explaining that:







- ✓ The shop linked to the said connection was demolished more than three years ago.
- ✓ The land is no longer in my possession, having been transferred to another owner post-demolition.
- ✓ The electricity connection has not been in use since then, and I am not in possession of any disconnection document due to the time gap.
- ✓ The dues appear to be barred by limitation under Article 14 of the Limitation Act, 1963.

I am currently awaiting a formal response from the Electricity Department, and hence, I request the Hon'ble Forum to accept this grievance application even though the payment due date has already lapsed.

This delay is not due to negligence or unwillingness, but rather due to the administrative process and the time required by the department to respond.

I respectfully request the Forum to kindly register and accept this grievance for consideration and further directions, in the interest of justice and fairness.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या 396E261122975, मापक संख्या-661249 (1.00 KW) जोकि श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री पी०पी०एस० रावत देवाशय कॉलोनी लोहरियासाल तल्ला, हल्द्वानी नाम से है। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है की यह परिसर 3 साल पूर्व ध्वस्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में विधुत संयोजन 30/11/2020 से अस्थाई तौर पर विचेदित था, इसकी बिलिंग 14/06/2025 को बन्द की गई है। वर्तमान मैं उपभोक्ता का बिल उपखंड अधिकारी कमाल्वागंजा द्वारा प्राप्त पी० डी० रिपोर्ट के आधार पर संसोधित कर दिया गया है। जिसकी प्रति माननीय विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है। अतः मा० फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।



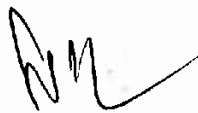
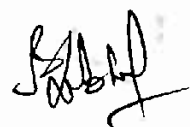


3. परिवादी द्वारा अपने प्र-क्षितर में कहा गया है कि "With due respect, I, Chandrabhan Singh, wish to submit my reply in continuation to your kind notice dated 19.08.2025 regarding Case No. 109/2025.

- ✓ The electricity connection in question was linked to a shop/structure that was demolished more than four years ago. Since demolition, no structure has existed at the site under my possession, and no electricity has been consumed.
- ✓ The land on which the shop existed is no longer under my possession, and I have no ownership or control over it since the demolition.
- ✓ The demand of ₹17,463 raised after such a long period is null and void, as the connection has remained inactive and abandoned. Moreover, as per the Limitation Act, such stale claims are not legally enforceable after three years.
- ✓ The repeated issuance of notices after such a long period is therefore not maintainable, and the present demand deserves to be quashed.

4. विपक्षी/विभाग द्वारा आपनी आख्या में कहा गया कि शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या 396E261122975, मापक संख्या 661249 (1.00 KW) जोकि श्री चन्द्रभान सिंह पुत्रश्री पी०पी०एस० रावत देवाशय कॉलोनी लोहरियासाल तल्ला, हल्द्वानी के नाम से है उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में जो भी तथ्य खंड कार्यालय को प्राप्त हुए उसके आधार पर बिल को संसोधित किया जा चुका है। जिसकी प्रति माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है। यदि मा० फोरम को संसोधन में कोई त्रुटी प्रतीत होती है तो कृपया आदेश देने की कृपा करें। तथा मा० फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

5. मंच द्वारा पत्रावलीका सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी का विद्युत संयोजन विपक्षी की आख्या के अनुसार दिनांक 30.11.2020 से अस्थाई रूप से विच्छेदित है जिसकी बिलिंग 14.06.2025 को बंद की गयी। परिवादी का कहना है कि उसकी दुकान, जिस पर यह संयोजन था 3 वर्ष से अधिक समय पूर्व ध्वस्त की जा चुकी है तथा ध्वस्तीकरण के बाद उसके कब्जे में नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अस्थाई विच्छेदन के बाद संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित किए जाने के लिए ना तो परिवादी ने प्रक्रिया/शुल्क जमा किया और ना ही विपक्षी

द्वारा टी0डी0 संयोजन की पी0डी रिपोर्ट तैयार की गई। जिस कारण जून 2025 तक बिल बनते रहे हैं।

बावजूद इसके विपक्षी द्वारा जो स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट तैयार की गई है वह विच्छेदन तिथि 30.11.2020 के आधार पर ही तैयार की गई है। पी0डी0 रिपोर्ट में सभी आवश्यक समायोजन प्रदान करते हुए कुल बकाया 5507 रूपया दर्शाया गया है, जो कि मंच के मत में सही है तथा इस राशि का भुगतान परिवादी द्वारा विपक्षी को किया जाना है। परिवादी द्वारा विपक्षी को वसूली से रोकने संबंधी आदेश देने की मांग निराधार है जिसे यह मंच खारिज करता है।

आदेश

विपक्षी द्वारा तैयार की गयी परिवादी के संयोजन की स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट के आधार पर परिवादी रुपए 5507.00 की धनराशि 15 दिन के भीतर विपक्षी के कार्यालय में जमा कराये। यह राशि जमा नहीं कराये जाने की दिशा में विपक्षी नियमानुसार वसूली को स्वतंत्र है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

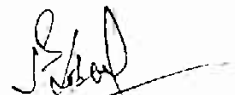
दिनांक:— 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

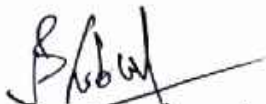
दिनांक:— 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

परिवाद संख्या-113 / 2025

पंजीकरण तिथि-23.07.2025

निर्णय तिथि-25.09.2025

सुशील जोशी द्वारा अमित सिंह बिष्ट,
सै गोदाम रोड़, कुसुमखेडा हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा कनैक्शन संख्या-396E162096632, खाता सं०-40114895891 जो कि अमित सिंह बिष्ट के नाम से है। आपको अवगत कराना है कि पिछले कुछ माह से मेरा विद्युत बिल बढ़ कर आ रहे हैं पहले मेरे बिल 1500.00 रुपये तक आता था परन्तु कुछ महीनों (लगभग 5 या 6 माह) से ये 4000.00 से 6000.00 रुपये तक आ रहे हैं। महोदय मैं कई विभाग के चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु हर बार यही कहा जाता है कि अगली बार ठीक कर दिया जायेगा। परन्तु ना तो मुझे बिल सही करके दिया जाता है और न ही मुझे सही जानकारी दी जाती है।

महोदय मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ बार-बार इतना अधिक बिल मैं जमा नहीं कर सकता हूँ। महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल सही करवा कर मुझे न्याय दिलाये। ताकि मैं समय से अपना बिल भर सकूँ।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि माह 10/2024 से पूर्व के बिलों का यदि अवलोकन करें तो उपभोक्ता का विद्युत खपत लगभग 150 से 200 यूनिट्स का है। लेकिन माह 12/2024 में मात्र 83 यूनिट्स का बिल उसके बाद माह 01/2025 व 02/2025 में शून्य यूनिट्स से बनें हैं। उसके बाद पुनः रीडिंग के बिल बनना सुचारु हो

गया है। उपभोक्ता का विद्युत उपभोग बहुत अधिक है। यदि शिकायतकर्ता को यूनिट्स खपत पर कोई भी शंका है तो वह कार्यालय में आकर चैक मापक के आवेदन कर सकते हैं। जिससे उनके मापक की तथा विद्युत उपभोग की स्थिति का पता चल जायेगा।

3. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया है कि मेरा मीटर खराब है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा मीटर चैक करने की कृपा करें।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के पुराने मापक (जिसमें उपभोक्ता को तेज चलने की शिकायत थी) पर दिनांक 29/08/2025 को चैक मापक स्थापित कर दिया गया तथा दिनांक 16/09/2025 को फाइनल किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार पुराना मापक सही समान्य चलता हुआ पाया गया है।

अतः शिकायतकर्ता का विद्युत उपभोग अधिक होने के कारण बिल अधिक है। मा० फोरम से निवेदन है कि वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

5. परिवादी ने अपने पत्र/इमेल दिनांक 24.09.2025 द्वारा सूचित किया कि “Main vibhagiy karya se santusht hun Kya Meri is case ko band kar diya jaaye dhanyva” मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के मीटर एवं बीजक की जांच कर के शिकायत का निराकरण कर दिया गया है जिस पर परिवादी ने अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर ए जा एके प-वारि दी के संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 09/2025

(तिलक राज भाटिया,)

सदस्य (तकनीकी)

आज यह निर्णय खुले फोरम में नांदि, किस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 25/09/2025

(तिलक राज भाटिया,)

सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)

सदस्य (न्यायिक)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)

सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-118/2025

पंजीकरण तिथि-05.08.2025

निर्णय तिथि-06.09.2025

श्वेतान्जली श्रीवास्तव,
कहलक्वीरा, भवाली,
जिला-नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अभिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल

विपक्षी

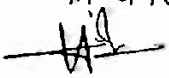
निर्णय

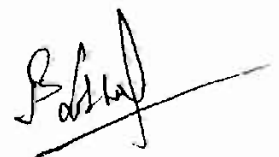
1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि-उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि (श्वेतान्जली श्रीवास्तव) के मकान का विद्युत कनेक्शन संख्या-41900122576 है, जिसका मीटर रीडिंग माह जनवरी 2025 से लगातार गलत आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा तत्समय ही विभाग को सूचित किया गया तथा विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में बिल के सुधार हेतु रु०.5000 (पांच हजार) जमा भी किया गया, किन्तु अद्यतन मीटर रीडिंग सही नहीं हो पाया है, जिसके कारण वर्तमान में विद्युत बिल रु०. 72399.00 प्रदर्शित हो रहा है जबकि मेरा मकान लगभग 1 वर्ष से बन्द है एवं वर्तमान में भी बन्द है तथा किसी प्रकार से विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे कनेक्शन संख्या-41900122576 का मीटर रीडिंग एवं प्रदर्शित हो रहा विद्युत बिल सही कराने का कष्ट करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्रीमती श्वेतान्जली श्रीवास्तव, भवाली (संयोजन संख्या-591NM27116434) द्वारा विद्युत बिल से सम्बन्धित प्रकरण में मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित करने कहा गया है। जिसके कम में उपभोक्ता के मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। मां मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 30.08.2025 को अपनी आख्या में कहा गया कि उपभोक्ता श्रीमती श्वेतान्जली श्रीवास्तव, भवाली (संयोजन संख्या-591NM27116434) द्वारा विद्युत बिल से सम्बन्धित आख्या से मां मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है।
 - उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार मापक की एम0आर0आई0 से प्रतीक होता है कि दि० 01.01.2025 से 01.02.2025 तक मापक की खपत 5776.1 kwh एवं दि० 01.02.2025 से 01.03.2025 तक मापक की खपत 4157.80 kwh है।
 - मापक में अधिकतम भार शून्य प्रदर्शित है। जिससे प्रतीत होता है कि खपत बिना मांग के प्रदर्शित नहीं हो सकती है। जिस कारण मापक ने असामान्य व्यवहार किया है।
4. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए आख्या मंच में प्रस्तुत की गई है। विपक्षी ने अपनी आख्या में स्वयं स्वीकार किया है कि मीटर ने असामान्य व्यवहार किया है जिस कारण बिना मांग के खपत प्रदर्शित हो रही है। यह स्थिति 25.12.2024 के बाद से जून 2025 तक बनी रही, जबकि परिवादी के अनुसार उसका परिसर एक वर्ष से बंद है। एम0आर0आई0 रिपोर्ट से यह स्थापित हो चुका है कि पारिवादी का मापक असामान्य व्यवहार कर रहा है, जिसे तत्काल बदला जाना आवश्यक है। साथ ही दिनांक 25.12.2024 के बाद के बीजकों को संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

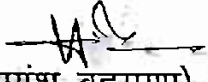
परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि पारिवादी का मीटर तत्काल बदले तथा दिनांक 26.12.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि तक के बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत अर्थात् $[(41+0+0)/3]$ 14 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से संशोधित करें, जिस पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा। संशोधित बीजक में दिनांक 24.03.2025 को परिवादी द्वारा जमा की गई 5000.00 रुपये की धनराशि का समायोजन करें। विपक्षी 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में

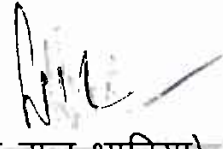


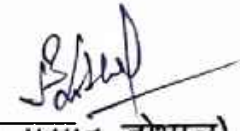


प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर - 40

दिनांक:- 06.09.2025

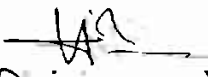

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

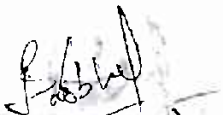

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 06.09.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-120/2025

पंजीकरण तिथि:-26.08.2025

निर्णय की तिथि:- 08.09.2025

अजय कुमार मौर्या,
द्वारा प्रेमवती, जवहार ज्योति,
दमुवाढुगां हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल

परिवादी

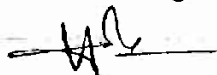
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- My electricity bill used to be ₹ 400, And 600 and 800 ₹900 every month and suddenly it has come to August ₹15827. Please check it. All this has happened after the installation of the smart meter. I am attaching some screenshots and the electricity bill. Please check it.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392E224160888 (1.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता को माह 12/2023 तक सही रीडिंग से बिल प्रेषित किये गए हैं। माह 01/2024 से 05/2025 तक RDF के बिल प्रेषित किये गए हैं। दिनांक 08/06/2025 को पुराना मापक बदलकर स्मार्ट मापक लगा दिया गया था। पुराना मापक सही दशा में अंतिम रीडिंग 10128 KWH पर उतर गया था।







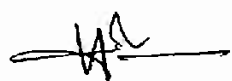
अतः माह 01/2024 से दिनांक 08/06/2025 पुराने मापक की यूनिट्स को माहवार विभाजित करते हुए बिल को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बीजक गणना शीट संलग्न है। गणना शीट के अनुसार परिवादी का बीजक मात्र 956.03 रुपया है।

3. परिवादी द्वारा अपनी संतुष्टि में कहा गया है कि “Respected sir Thank you so much”
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

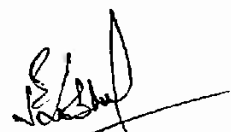
दिनांक:- 08.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 08.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-121 / 2025
पंजीकरण तिथि-28.08.2025
निर्णय तिथि-12.09.2025

मीना भट्ट
 बी-42, कार्तिकेय कालौनी फेज-1
 कुसुमखेडा, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

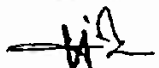
बनाम

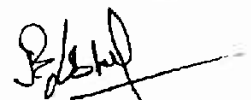
अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि "Dear Sir, one more meter has been installed in our house B42, kartikeya colony around 3 months before. This new Metre In our house(4KW) had an initial meter reading 15128 when installed and reading noted down in metre by authorities. Meter is in the name of my husband Rajesh Bhatt. Old meter in my house (5KW) is in my name (Meena Bhatt) having account no 40232154693. Electric bills of this old meter are regularly received from Upcl and paid by me. Despite of repeated requests to authorities, electric bill of new meter has not been issued by Upcl till now while meter consumption for this new meter is around 600 units per month. Thus, electric bill for last 3 months will be a heavy amount and Upcl is supposed to issue the bill in one go though still unaware when bill will be issued. It is requested to kindly instruct the authorities to issue the bill without further delay to avoid financial burden on us."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-3972107145309 (5 किलोवाट) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 25.02.2025 को उपभोक्ता के पुराने मापक में चैक मापक लगाया गया है। क्योंकि उपभोक्ता को लगा कि उसका विद्युत उपभोग खपत से अधिक आ रहा है। लेकिन अगर 1 साल पूर्व से बिलों की खपत देखी जाए तो पूर्व की तरह ही बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। विद्युत भार के अनुसार खपत बिल्कुल सही है। चैक मापक ने भी बताया है की मापक सही है मात्र जीरो 03 % का ही अंतर है।
- परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 09.09.2025 में कहा गया है कि मेरे पत्र दि 26.08.2025 में किए गए अनुरोध का पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें। अधिशाली





अभियंता का उत्तर दिनांक 06.09.2025 जो आपके पत्र दि 08.09.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, कहीं से भी मेरी शिकायत के परिपेक्ष्य में नहीं है।

उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा पुनः दिनांकित 09.09.2025 को पत्र प्रस्तुत किया गया और कहा गया है कि कृपया अपने पत्र दि 08.09.2025 का संदर्भ लें जिसमें अधिशासी अभियंता के पत्र दि 06.09.2025 के परिपेक्ष्य में आपत्ति निवारण से संबंधी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है। अधिशासी अभियंता महोदय ने जिस 5 kw कनेक्शन हेतु सूचना दी है उस पर मेरी कोई आपत्ति है ही नहीं क्योंकि उस शिकायत का निवारण पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरी वर्तमान आपत्ति मेरे पति श्री राजेश भट्ट के नाम पर लगाए गए 4 kw के दूसरे विद्युत कनेक्शन से संबंधित है जो लगभग 4 माह पूर्व लगाया गया था और जिसका कोई भी बिल अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है।

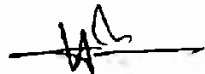
मेरा पुनः अनुरोध है कि कृपया मेरे मूल शिकायती पत्र दि 26.08.2025 का पुनः अध्ययन करने की कृपा करें और नए विद्युत कनेक्शन का बिल शीघ्र भिजवाने की कृपा करें।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी के नए संयोजन का प्रथम बिल जल्द बनाकर मंच में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तथा परिवादी ने भी बिल प्राप्त होने की दशा में वाद पर निर्णय पारित कर केस बन्द करने की बात कही है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के नए संयोजन का बीजक बना दिया गया है जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसकी प्रति परिवादी को भी प्रेषित की जा चुकी है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जा के फलस्वरूप वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

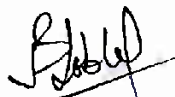
आदेश

~~विपक्षी द्वारा पत्रावली की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~

दिनांक:-12/09/2025

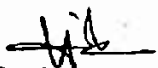


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

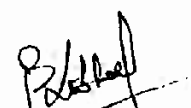

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में ~~हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।~~

दिनांक:-12/09/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)

परिवाद संख्या-122 / 2025
पंजीकरण तिथि-29.08.2025
निर्णय तिथि-25.09.2025

वीना सिन्हा
 वीना सदन
 पीरुमदारा, रामनगर
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 रामनगर।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I hope this email finds you well. I am writing to report discrepancies in my electricity billing, which appear to result from incorrect meter readings.

Billing Details:

23 June 2025: Meter reading from 11454 to 11700 — 246 units consumed. 26 July 2025: Bill shows Previous: 11700, Present: 11700, yet 227 units were charged — this is incorrect. 27 August 2025: Bill again shows Previous: 11700, but Present: 12155, indicating 455 units consumed — which doesn't align with actual usage.

These discrepancies have resulted in inflated billing. I kindly request you to:

- Review and correct the meter readings and consumption calculations.
- Adjust or refund the excess amount charged in my upcoming bill.

Details for your reference: Consumer Number: 42000499141, Name: Veena Sinha, Address: Veena sadan Peerumdara Ramnagar Nainital Uttarakhand 244715, Mobile Number: 6395719140.

I request prompt action on this matter and look forward to your response and resolution."

- परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 01.09.2025 को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत पत्र में कहा गया है कि " This is with reference to your letter dated 29.08.2025 regarding my complaint. I would like to submit the following clarification along with evidence:

1. The meter reader has not issued proper bills at the time of visit. Instead, the reading is written on the wall with pencil/chalk, which is highly irregular.
2. The total units written on the wall are incorrect, whereas I have been paying my electricity bill regularly every month.
3. Because of such manual and incorrect recording, the billing in the UPCL system is showing inflated and wrong units.

Evidence Attached:

Photograph of the wall showing meter reading manually written by the meter reader on 27.08.2025.

I once again request your good office to:

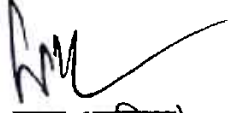
Verify my meter physically. Correct the meter readings in the system. Revise my electricity bill as per actual consumption. Adjust/refund the excess payment in my upcoming bills."

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या/खाता संख्या RR2M324728735/42000499141 का परीक्षण एवं विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ की उपभोक्ता को दिनांक 23.06.2025 से 26.07.2025 की अवधि का विद्युत बिल एन०ए० आधार पर 227 यूनिट का (PROVISIONAL) अंतिम बिल निगर्त किया गया था तथा दिनांक 26.07.2025 से 27.08.2025 तक का बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बनाया गया है। उक्त निगर्त बिल में दिनांक 23.06.2025 से 26.07.2025 की निगर्त (PROVISIONAL) अंतिम बिल की धनराशि ₹ 1071.25 का समायोजन स्वतः ही किया जा चुका है। तथा शेष बिल की धनराशि वास्तविक मापक रीडिंग सही है तथा शिकायतकर्ता द्वारा यह भी शिकायत की गयी थी कि मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता के दीवारों पर अनाधिकृत रूप से मापक की रीडिंग एवं बिल की धनराशि लिखी जा रही हैं, जोकि उचित नहीं है उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित मापक रीडिंग करने वाली कार्यदायी संस्था को उपरोक्त कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति ना किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 21.09.2025 में कहा गया है कि "This email is in reference to your letter dated 15/09/2025, concerning the corrected electricity bill for the period ending 27.08.2025. We acknowledge the receipt of the revised bill, and we have completed the payment. Thank you for your swift action in resolving this issue. We kindly request that measures be taken to ensure the accuracy of future bills, as experiencing such discrepancies causes significant inconvenience. We hope that similar problems will not recur in the future. Thank you for your cooperation."
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 21.09.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

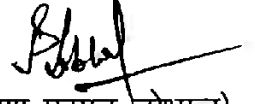
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-25.09.2025



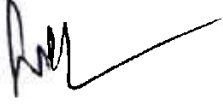
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



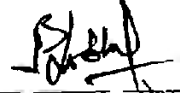
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.09.2025



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रादि संख्या-123 / 2025

पंजीकरण तिथि-29.08.2025

निर्णय तिथि-09.09.2025

कुन्दन सिंह अधिकारी

परिवादी

भरतपुर नं०-02

ब्रजवासी पब्लिक स्कूल

कमलुवागांजा, हल्द्वानी

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

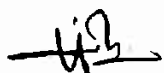
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि " I am writing to raise a grievance regarding an error in my electricity bill for the current month. Despite paying my electricity bill for July 2025 on 4th August 2025, the latest bill provided by the meter reader shows the July month bill as unpaid. This is incorrect, as the payment has already been made and is also marked as "Paid" on the UPCL official portal. I have included the payment receipt for July 2025 along with the current month's bill for your verification.

Kindly Requesting:

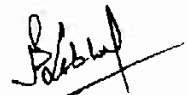
1. **Immediate correction** of your records to reflect that the July 2025 bill was paid.
2. **Issuance of a revised bill** for the current month, removing the incorrect arrears.
3. Assurance that **no penalty, interest, or disconnection** action will be taken due to this error.

I request that this issue be treated with urgency and look forward to your confirmation of resolution."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-3971E313161940 (2 किलोवाट) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की उपभोक्ता के सभी बिल यूनिट्स के आधार पर सही बने हैं। साथ ही उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी







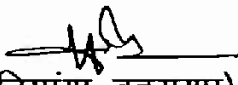
बिलों की धनराशि घट(-) गयी है। माह 07/2025 के बिल को माह 08/2025 में देर से जमा किया गया था। (जोकि समायोजित हो गया है)। माह 08/2025 के बिल को भी माह 08/2025 में ही जमा किया गया है। सभी जमा की गयी बिलों की धनराशि समायोजित हो गयी है। बिल ठीक है।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि " Thanks you. Now bill has been corrected by upcl."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की समस्या का निराकरण किया जा चुका है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा दिनांक 09.09.2025 को प्रेषित ईमेल से भी होती है। अतः विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/09/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/09/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

प बिाद संख्या-124 / 2025

पंजीकरण तिथि-30.08.2025

निर्णय तिथि-11.09.2025

खड़क सिंह
 ग्राम-नाईसेला
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

प बिादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामी)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

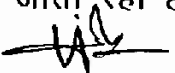
विपक्षी

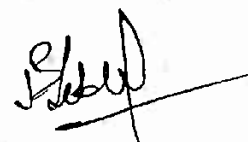
निर्णय

1. प बिादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 17.08.2025 में कहा गया है कि मैं खड़क सिंह अकाउंट नम्बर-40119520616, जिसका बिल अधिक आने पर शिकायत दर्ज कर रहा हूँ महोदय जी में एक गरीब किसान हूँ मेरी बिजली की खपत कम है फिर भी मेरा बिल अधिक आ रहा है जिसे जमा करने के लिए मेरे पास इतनी आम दानी नहीं है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मेरा बिजली के बिल को कम करने की कृपा कीजियेगा जिसे मैं आसानी से जमा कर सकूँ।

उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 30.08.2025 को पुनः ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्र में कहा गया है कि मेरे द्वारा बिजली विभाग हैल्प लाईन न. 1912 में शिकायत दर्ज कि जिसके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ जिसमे मेरा बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरा मकान भी कच्चा है जो जंगल के किनारे पर है जिससे मेरे बच्चों को अँधेरे में डर लग रहा है। महोदय जी आपसे मेरा निवेदन है की मेरे बिलजी के बिल को कम करवाने की कृपा कीजियेगा जिसको मैं आसानी से जमा कर सकूँ।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 08.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-3920326137888, मापक संख्या-UU939663 (1 किलोवाट) का अवलोकन करने पर ज्ञात माह 12/2024 तक रीडिंग के सही बिल बने हैं। उपभोक्ता द्वारा साल में एक बार ही बिल जमा किया जाता रहा है, जिस कारण से LPS के कारण भी बिल अधिक होता जा रहा है।



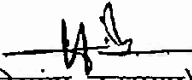


3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तक सुने गये। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी का संयोजन दिनांक 22.02.2025 को बकाए के आधार पर विच्छेदित किया गया तथा विच्छेदन के समय मीटर की रीडिंग 2450 थी। विपक्षी द्वारा दिसंबर 2024 तक परिवादी को सही बिल भेजे गए परंतु जनवरी 2025 को मीटर रीडिंग 4623 दर्शाकर बिल भेजा गया है जो कि गलत है। दिनांक 22.02.2025 को संयोजन विच्छेदन के वक्त परिवादी की मीटर रीडिंग 2450 थी जिससे स्पष्ट है जनवरी 2025 में 4623 रीडिंग मनमाने तरीके से भरी गई है। परिवादी का संयोजन अभी भी विच्छेदित है। ऐसी दशा में परिवादी का बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। साथ ही परिवादी का मीटर बदला जाना भी तर्कसंगत है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को भेजा गया बिल दिनांक 23.01.2025 को रद्द किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 24.12.2024 से वर्तमान तक का बीजक मीटर रीडिंग 2450 के आधार पर Disconnection हटाते हुए संशोधित करे। विपक्षी एक सप्ताह के भीतर संशोधित बीजक परिवादी को हस्तगत कराये तथा परिवादी संशोधित बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। परिवादी द्वारा भुगतान कर दिए जाने पर विद्युत संयोजन को तत्काल नए मीटर के साथ संयोजित करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

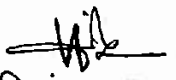
दिनांक:-11/09/2025

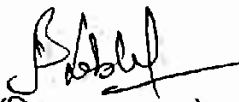

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-11/09/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:125/2025

Shri/Smt. Nishant kumar

V/S

Executive Engineer.Ramngar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	01.09.2025	विपक्षी/—भूमि दिनांक 11.09.2025 को उत्तर पत्र कर नेतु नोटिस जारी करें। पक्षकार सूचित हो। <i>[Handwritten signatures]</i>	11.09.2025
	11.09.2025	<u>आदेश</u> पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवार की लगे पार फेंकर सत्यार्थ की गलत ठावे वसूली की शिकायत पर विपक्षी ने ₹ 3663 रुपये का समायोजन परिवार के बिना भे प्रदान कर दिया है, प्रमाण हवलत लेजर की प्रती भी संलग्न की गयी है। परिवार ने सम्पूर्ण विषय से दूर भाग पर विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की है। साथ ही बिला डेटा मिलने के कारण L.P.D लगाने की समझौदा भी डबल। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि बिल समय पर जारी करे। परिवार पर विपक्षी ने परिवार की गलत शिकायत का समाधान कर दिया है अतः वस।	<u>निर्णयित</u>

रिजिस्ट्रार/पक्षकार सूचित हो, पत्रावली डाखिल दफतर हो

[Signature]
हिमंशु
(सदस्य)

[Signature]
बहुगु
(समयवेत्ता)

[Signature]
विष्णु प्रसा
(सदस्य न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:126/2025

Shri/Smt. Vikash Khatri

V/S

Executive Engineer. Haldwani(T)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	01.09.2025	विपक्षी/ शिकायत दिनांक 11.09.2025 को उत्तर पत्र करने हेतु नोटिस जारी करें। पक्षकार सूचित हो। <i>[Signatures]</i> <u>आदेश</u>	11.09.2025
	11.09.2025	पञ्चायती प्रत्युत विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा पक्षिका की शिकायत के अनुसार उक्त विपक्षी को नोटिस जारी कर (24/8) समय का निर्धारण प्रदान कर दिया गया है। पक्षिका के भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की है। अतः वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। पञ्चायती दफ्तर है। <i>[Signatures]</i> हिमांशु बहुगुणा (सदस्य अध्यक्ष) <i>[Signature]</i> डायल (सदस्य न्यायिक)	निरस्तारित

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM**

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 128/2025

Shri/Smt. श्री. इंदुस टावरली VS Executive Engineer. हल्द्वानी (ग्रामीण)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	11.09.2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत । पत्रावली का निर्णय डेली अवलोकन किया गया । उपरोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या - 390K000160036 मापक संख्या 7909686 (19.00KW) का अक्लोकन करने पर ज्ञात है कि विल में गलत जुड़कर आ रहे सबसेस डिमांड चार्ज Rs. 59400.00 तथा गलत जुड़कर आ रहे LPSRs. 562.53 + 1344.35 = 1906.88 (59400 + 1906.88 = 61306.88) को विल में प्रेषित विल में समायोजित किया जाता है । पत्रिका ने विपक्षी कार्यवाही पर अपनी सलाह व्यक्त की है, अतः पत्रिका की शिकायत को समाधान हो जाने पर पत्रिका निस्तारित किया जाता है, पत्रिका समाप्त हो पत्रावली दायित्व दफ्तरी	निस्तारित
--	------------	--	-----------

हिमांशु बहुगुणा
(सदस्य उपपेशता)

विष्णु प्रसाद डामाल
(सदस्य न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL

FORUM

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:...129/2025
Shri/Smt. [Signature]
6/11/2025
V/S Executive Engineer. [Signature]
ORDER SHEET

Signature

Date _____

Order

Next Date

ORDER SHEET

[illegible]

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM**

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 130/2025

Shri/Smt. मै. उडस रावर सी. VIS Executive Engineer. हल्द्वानी (जाम्बीग)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

		<u>आदेश</u> 11.09.2025 पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत निम्नलिखित विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का आवलोकन करने पर उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या - 390 K000802880 माफक संख्या - 8587012A (19.00 KW) का आवलोकन करने पर गलत जुड़ कर था रहे एक्ससेस डिमांड चांज Rs 2745.60 + 6864.60 = 9609.60 को वर्तमान पेशित बिल में समायोजित किया जाता है। LPS चांज नहीं। लिया गया। विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही से, प्रिवाटी/उपभोक्ता को संतुष्ट है, तथा विपक्षी विमल की कार्यवाही से संतुष्ट है, स्तरे जल स्वल्प का निम्नलिखित किया जाता है, प्रस्तावित पत्रावली द्वारा फुलर हो	
--	--	--	--

हिमंशु बहुगुणा
(सचिव अध्यक्ष)

विष्णु प्रसाद जोषाल
(सचिव अधिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM**

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 131/2025

Shri/Smt. मे. इंडस्ट्रियल लि० V/S Executive Engineer. हल्द्वानी (ग्रामीण)

ORDER SHEET

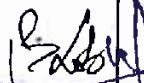
Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

आदेश

11.09.2025 पत्रावली ~~अपेक्षित~~ निर्णय हेतु
पस्लुत विपक्षी विभाग
द्वारा उत्तर-पस्लुत किया गया
उपभोक्ता की विद्युत संयोजन
संख्या 396E161584
891 मापक संख्या 8791866
(12.00 Kw) का अवलोकन कर
करने पर विल में ना ही
L.P.F और ना ही L.P.S
चार्ज किया गया है, इस
तरह सभी विल रीडिंग के
आधार पर सही बने हैं,
विपक्षी की क. मिवाही से
परिभाषी ने अभी बिगमल
पर सैलुलरि व्यस्त की है,
इसके फलस्वरूप वाद
निस्तारित किया जाता है।
पश्कार सूचित है।

पत्रावली कार्रवाई इफ्तरी


हिमंशु कुमार
(सदस्य उपभोक्ता)


विनोद कुमार
(सदस्य उपभोक्ता)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

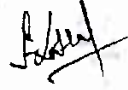
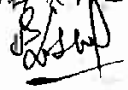
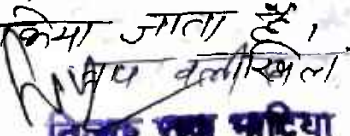
Case No.:135/2025

Shri/Smt. मै० इंडस टावर लि०, V/S

Executive Engineer.Haldwani(R)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	16.09.2025	विपक्षी/विभाग दिनांक 22.09.2025 को उत्तर पत्र करने हेतु नोटिस जारी करें। पक्षकार सूचित हो। 	22.09.2025
	22.09.2025	पक्षावली पेशा हुई। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका प्राव वादा को भेजा जाय। को दिनांक 24.09.2025 तक अपना आपाव संतुष्टि पत्र पत्र में प्रस्तुत करें। 	24.09.25
	23.09.2025	पक्षावली प्रस्तुत। परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र/उत्तर पत्र भेजा गया। पाव वादा को हेतु सुरक्षित पत्र पत्र आदेश हेतु प्रस्तुत है। 	सुरक्षित
	25.09.2025	आदेश पक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र पत्र कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। 	निस्तारित

तिलक राव फटिया
(सदस्य न्यायिक)

विष्णु प्रसाद डोभाल
(सदस्य न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:136/2025

Shri/Smt. मै० इंडस टावर,

V/S

Executive Engineer. ~~हालद्वनी (R)~~

Ram nagar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	25.09 2025	आदेश पत्रावली-पस्चुल विपक्षी विमान द्वारा परिवर्षी की शिकायत का स्माधान तथा परिवार से विपक्षी शिकायत हेतु शिकायत बंद करने हेतु अपना उक्त पत्र पस्चुल किया गया जिसके फल स्वरूप वाफ तक को निस्तारित किया जाता है पत्रावली कारकिल तिलक पत्र बकरीटिया (सदस्य) विष्णु शिवा डोनाल राविक (सदस्य)	निस्तारित
--	---------------	--	-----------

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:138/2025

Shri/Smt. निशान्त पंत,

V/S

Executive Engineer. Nainital

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	19.09.2025	विपक्षी/ शिाग चिांक 26. 09.2025 को उत्तर पत्र करने हेतु नोटिस जारी करें। पक्षकार सूचित हो । <i>[Signature]</i> <u>आदेश</u> 25.09.2025 पत्रावली/पल्लुल विपक्षी, निस्तरित विम 19 द्वारा उत्तर पत्र पल्लुल किया गया तथा परिवारी की शिकायत की विन्धुवार उत्तर मंय में पल्लुल किया। परिवारी द्वारा भी मंय के समक्ष अपरा शुरू उत्तर पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजा गया जिसमें परिवारी द्वारा विपक्षी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट व्यक्ति की गई है, तथा परिवारी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है, परिवारी द्वारा संतुष्टी व्यक्त कर दिये जाने के उपरान्त बाद को निस्तरित कि जा जाता है। <u>पत्रावली/पल्लुल दफ्तरी हो</u>	26.09.2025
--	------------	--	------------

[Signature]
विलक शिव पाटिया
(सहायक अध्यक्ष)

[Signature]
विन्धु प्रसाद डोभाल
(सहायक अधिकारी)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202508240001

पंजीकरण तिथि:-24.08.2025

निर्णय की तिथि:- 09.09.2025

पवन कुमार जोशी,
पीलीकोठी श्यामा गार्डन वेस्ट,
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

परिवादी

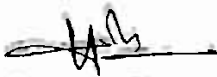
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:- "Dear sir I have a solar connection and applied for the amount redemption for the-ve bill and the kamalunganja people told the you will receive the amount within one week but not received Regards Pawan joshi"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या- 392KS01123133 (2.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 17/01/2025 को सोलर मापक लगाया गया है। उपभोक्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में बताया गया है की उन्हें सोलर की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है। महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि Rs. 6819.00 को उनके SBI A/c No. 1178580509, SBIN0015152 मे इसी



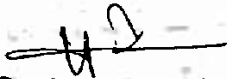
सप्ताह निर्गत कर दिया जायेगा। सोलर मापक की वापस होने वाली धनराशि की कार्यालय स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

3. परिवादी द्वारा मंच कार्यालय को ई-मेल भेजकर अपनी संतुष्टि व्यक्त करे हुए कहा गया है कि "Dear Sir, Thanks for your mail, I am satisfied with the response and now please close the case"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

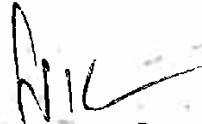
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

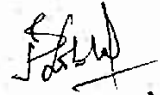
दिनांक:- 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



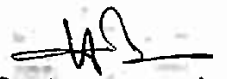
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

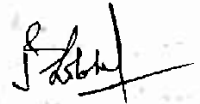
दिनांक:- 09.09.2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202508290001

पंजीकरण तिथि:-29.08.2025

निर्णय की तिथि:- 08.09.2025

महेश चन्द्र बसवाल,
कृष्णा कॉटेज, गोलूधार भीमताल,
जिला-नैनीताल

परिवासी

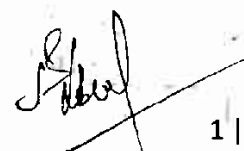
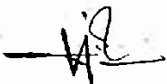
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि “ wrong meter reading taken or meter is not working properly, bill amount 32760 in just one month as no one is living there.”
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री महेश चन्द्र, गोलूधार, भीमताल, के कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है।
 - उपभोक्ता के परिसर पर लगे मापक (संयोजन संख्या-592NN32094382) की अनुबन्धित कार्यदायी संस्था के कार्मिक द्वारा गलत रीडिंग लिये जाने से बिल ज्यादा आया।
 - उपभोक्ता के मापक की सही रीडिंग 5389 के०डब्ल्यू०एच० के आधार पर बिल संशोधन कर दिया गया है।
 - बिल संशोधन के पश्चात उपभोक्ता का विद्युत बिल रु० 361.00 मात्र का है।

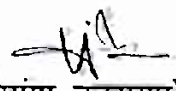


3. परिवादी द्वारा दिनांकित 08.09.2025 को अपने संतुष्टि पत्र में कहा गया कि मेरे द्वारा किए गए शिकायत का निस्तारण हो गया है जिसके लिए आप का बहुत आभार धन्यवाद।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की ब्लि संशोधन सम्बन्धी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

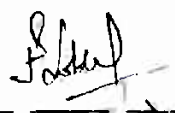
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:— 08.09.2025

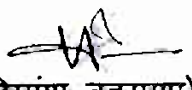

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

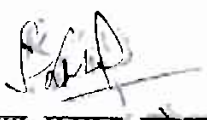

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:— 08.09.2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

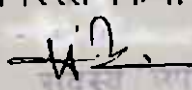
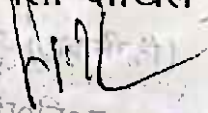
**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 04202509020001

Shri/Smt- Manjul Sijwali

Vs Executive Engineer-Haldwani(Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order
	02.09.2025	<u>आदेश</u> सी0जी0आर0एफ0 हल्द्वानी के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। रिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 31.08.2025 को वाद संख्या-04202508310001 ऑन लाइन पोर्टल पर य शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। तथा दिनांक 10.09.2025 को अग्रिम तिथि भी नियत है। जिसकी सूचना मंच कार्यालय द्वारा सी0जी0आर0एफ0, पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी है। चूंकि Case No-04202508310001 मंच में गतिमान है। अतः इस शिकायत संख्या-04202509020001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  सदस्य (उप-प्रस्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी  सदस्य (आयुक्त) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)

वाद संख्या-04202509080001

पंजीकरण तिथि-08.09.2025

निर्णय तिथि-25.09.2025

रघुवेंद सिंह बोहरा
 द्वारा चन्दन सिंह बोरा
 जवाहर ज्योति, चौफुला पौराहा
 दमुवाढूंगा, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

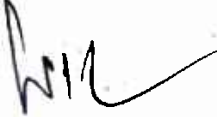
1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करे हुे कहा है कि "Submitted letter for name correction at SDO Rural Off Kamaluaganja on 23.08.2025 but as per online UPCL service it has not been corrected yet. Therefore, you are requested to rectify the name at the earliest as I am unable to apply for PM Suryaghar Yojna."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल में अपना अपने नाम के आगे RAGHUVENDRA SINGH BOHRA गलत लिखकर आ रहे को संशोधित करने के बात की गई थी, जबकि वो अविवाहित है। अतः विद्युत संयोजन संख्या-396E261576857 में भूल सुधार कर उपभोक्ता के नाम को RAGHUVENDRA SINGH BOHRA लिखकर संशोधित कर दिया गया है। अतः बाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतित्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 20.09.2025 में कहा गया है कि "My name has been corrected and my complaint has been resolved. It may be closed now. Thanks for cooperation and support."
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 20.09.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

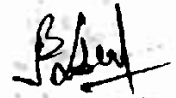
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-25.09.2025



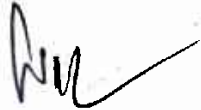
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



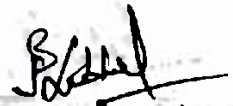
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.09.2025



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)

परिवाद संख्या-04202509140001

पंजीकरण तिथि-14.09.2025

निर्णय तिथि-25.09.2025

राजेंद्र प्रसाद,

कुमाऊँ कालौनी, दमुवाढुगां हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि-"My electricity bill unit consumed shown is wrong. Actual unit consumed and copy of bill and pymment receipt are attached. Kindly revise the bill and issue me fresh and updated bill"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि-उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या 396E261252964, मापक संख्या -124925 (1-00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि मीटर रीडर द्वारा रीडिंग 800 KWH का बिल बनाया गया है जबकि मापक में वर्तमान रीडिंग 18 KWH सही है। दूरभाष पर उपभोक्ता से सम्पर्क कर सही रीडिंग प्राप्त की गयी और बिल को संशोधित किया गया। साथ ही संशोधित बिल की उपभोक्ता को भी प्रेषित की गयी। जिसकी प्रति माननीय विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 23.09.2025 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है मैं अपनी उपरोक्त शिकायत संख्या के सफल समाधान के लिए आपका

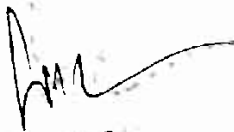
धन्यवाद करने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी समस्या गलत बिलिंग को इतने कम समय में हल कर दिया गया। आपकी कार्यप्रणाली ने मेरे भरोसे को और मजबूत किया है।

1. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संशोधन संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 25/09/2025



(तिलक राज भाटिया,
सदस्य (तकनीकी))



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 25/09/2025



(तिलक राज भाटिया,
सदस्य (तकनीकी))



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

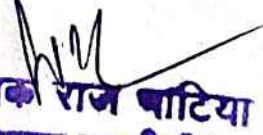
**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 04202509160002

Shri/Smt- Manjul Sijwali

Vs Executive Engineer-Haldwani(Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order
	16.09.2025	<u>आदेश</u> सी0जी0आर0एफ0 हल्द्वानी के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 31.08.2025 को वाद संख्या-04202508310001 ऑन लाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। परिवादी द्वारा दिनांक 02.09.2025 को पुनः वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पंजीकृत की गयी जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना सी0जी0आर0एफ0, पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। आज दिनांक 16.09.2025 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर पुनः Case No-04202509160001 पंजीकृत किया गया है। चूंकि Case No-04202508310001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी समस्त शिकायतें एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या-04202509160001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  तिलक राज बाटिया (सदस्य तकनीकी)  विष्णु प्रसाद बाटिया (सदस्य न्यायिक)